न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 50 / 2013 / (2013 / 00116) जिला–नागौर

1. प्रकाशचन्द्र पुत्र श्री मोहनलाल उम्र 50 वर्ष
2. मनोज कुमार पुत्र श्री मोहनलाल उम्र 40 वर्ष
3. अजय कुमार पुत्र श्री मोहनलाल उम्र 35 वर्ष
4. अनिल कुमार पुत्र श्री मोहनलाल उम्र 50 वर्ष

समस्त जाति अग्रवाल निवासीगण कीचक तहसील डीडवाना जिला नागौर।

———अपीलार्थीगण

बनाम

1. मुकेश पुत्र श्री कन्हैयालाल,
2. संजय पुत्र श्री कन्हैयालाल,

जाति अग्रवाल, निवासीगण जय श्री टाकीज के पीछे, गंजवाड़, पोस्ट गोदिया जिला गोदिया प्रान्त महाराष्ट्र।

3. श्रीमती सुनीता बेवा नरेन्द्र जाति अग्रवाल,
4. आकाश पुत्र श्री नरेन्द्र जाति अग्रवाल,

निवासीगण गणेश नगर, पोस्ट गोदिया जिला गोदिया प्रान्त महाराष्ट्र।

5. शशि कला पुत्री श्री कन्हैयालाल पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद मोदी, जाति अग्रवाल निवासी मार्फत सत्यनारायण धनाराम मोदी, पी.ओ. बापा कोड़ी, जिला भण्डारा महाराष्ट्र।
6. सुमन उर्फ सुनिता पुत्री श्री कन्हैयालाल पत्नी श्री दिनेश अग्रवाल, निवासी पी.ओ.सड़क अर्जुनी अर्जुनी, वाया गोदिया, जिला भण्डारा महाराष्ट्र।
7. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर।
8. नायब तहसीलदार (उपपंजीयक अधिकारी) मौलासर तहसील डीड़वाना।
9. सरपंच ग्राम पंचायत छापरी कला पंचायत समिति डीडवाना जिला नागौर।

————प्रत्यर्थीगण

———

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना जिला नागौर दिनांक 27–09–2013
अन्तर्गत अपील संख्या 10 / 2011 बउनवान मुकेश कुमार बनाम
ग्राम पंचायत छापरी कला वगैरह

————

उपस्थित– 1. श्री लेखू मंघानी अभिभाषकगण अपीलार्थी
2. श्री हेमराज गुप्ता अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 से 6

निर्णय

दिनांकः– 07–06–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा कीचक तहसील डीडवाना के आराजी खसरा नम्बर 101, 228, 276, 278, 281 कुल रकबा 57 व 10 बीघा के खातेदार कन्हैयालाल के स्वर्गवास होने पर उनके वारीसान के नाम नमान्तरकरण संख्या 429 को सरपंच ग्राम पंचायत छापरीकलां के आदेश दिनांक 5–10–2011 को खारिज कर दिया। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–9–2013 से स्वीकार कर मृतक खातेदार कन्हैयालाल के विधिक वारिसान के नाम विवादित नामान्तरकरण को नियमानुसार निर्णित करने का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना के उक्त आदेश दिनांक 27–09–2013 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य मुख्य तर्क दिये कि सरहद मौजा कीचक तहसील डीडवाना के खसरा नम्बर 101 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 220 रकबा 19 विस्वा, खसरा नम्बर 276 रकबा 6 बीघा 15 विस्वा, खसरा नम्वर 278, रकबा 0.05 विस्वा, तथा खसरा नम्बर 281 रकबा 38 बीघा 7 विस्वा कुल रकबा 57 बीघा 10 बिस्वा जिसके गत खसरा नम्वर 127 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 112 रकबा 19 विस्वा, खसरा नम्बर 127 रकबा 6 बीघा 15 विस्वा, खसरा नम्बर 172 रकबा 38 वीघा 12 विस्वा भूमि प्रारम्भ से ही स्वर्गीय श्री रघुनाथ जी पुत्र श्री भैरूराम की खातेदारी की दर्ज थी। उक्त भूमि का पटटा दिनाक 15.02.1944 को रियासत जोधपुर राज मारवाड द्वारा स्वर्गीय श्री रघुनाथ पुत्र श्री भैरूराम, जातरा महाजन के नाम बना हुआ है, दिनाक 28.02.1962 अस्टिन्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर द्वारा स्वर्गीय श्री रघुनाथ वल्द भैरू के नाम पर्चा खतौनी जारी किया गया। भू प्रबन्ध सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सन् 1965 में पर्चा खतौनी (पटटा) रघुनाथ के नाम जारी किया हुआ है। पटटा बापी, पर्चा भी रघुनाथ के नाम जारी किया हुआ है। खेवट सम्वत् 2010–2012 में खातेदारी रघुनाथ के नाम है तथा स्वगीय श्री रघुनाथ जी ही तत्समय काश्त करते आ रहे थे। रधुनाथ ने कोई विवाह नही किया था और ना ही उसकी कोई औलाद थी

इसलिये उसने मोहनलाल को गोद लिया। रघुनाथ जी की सेवा मोहनलाल ने ही की थी तथा रघुनाथ की मृत्यु के बाद मोहनलाल ही उक्त भूमि पर काबिज व काश्त करता आ रहा था। रघुनाथ के नाम से इस भूमि के बारे गें जो भी लगान व अन्य कर्जा था, वो मोहनलाल ने अदा किया। ग्राम सेवा राहकारी समिति से भी रघुनाथ जी ने कर्जा लिया था, जिसकी ऋण की अदायगी मोहनलाल ने रसीद रांख्या 1899 दिनांक 16.02.1971 के जरिये अदा की थी। इस प्रकार रघुनाथ जी की मृत्यु के बाद मोहनलाल ही उक्त भूमि का खातेदार व कब्जेदार हो गया। मोहनलाल की मृत्यु के बाद अपीलार्थीगण मोहनलाल के विधिक वारिसान थे, उनके नाम से उक्त भूमि दर्ज की गई तथा अपीलार्थीगण ही इस भूमि के काबिज व काश्तकार रहे है। प्रत्यर्थी संख्या 1 मुकेश कुमार ने झूठे तथ्य प्रस्तुत कर उक्त भूमि उनके दादा गणेशराम जी की बतलाकर एंव उनकी मृत्यु के बाद उनके पिता कन्हैयालाल की बतलाकर विवादग्रस्त भूमि प्रत्यर्थीगण के नाम दर्ज करवाने के लिये सरपंच ग्राम पंचायत छापरी कला के समक्ष आवेदन किया। सरपंच ग्राम पंचायत छापरी द्वारा दिनाक 05.10.2011 को उनका नामान्तरकरण संख्या 429 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी संख्या 1 उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने स्वीकार कर कानूनी भूल की है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक यह भी कथन है कि अपीलार्थीगण भी विवादित भूमि के खातेदार होकर काबिज है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील में अपीलार्थीगण को प्रभावित पक्षकार होने पर भी पक्षकार नही बनाया है जिस पर अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना के समक्ष अपीलार्थीगण को पक्षकार बनाने के लिये आदेश 1 नियम 10 व्यवहार प्रकिया संहिता के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया उक्त आवेदन को दिनांक 27.09.2013 को निरस्त करते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर कर दिया, जबकि अपील के गुणावगुण पर बहस हुई ही नही इस प्रकार अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उपखण्ड अधिकारी डीडवाना का आदेश दिनांक 27–09–2013 न्याय नियम एंव रिकार्ड में उपलब्ध दस्तावेजी प्रमाणो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना ही विवादित आदेश पारित कर दिया। विवादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थीगण काबिज होकर खातेदार है। इस प्रकार आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि मानते हुये भूमि गणेशराम पुत्र श्री मैरूराम के नाम मानकर प्रत्यर्थीगण के नाम विरासत के आधार पर नामान्तरकरण निरस्त करने के आदेश दिये है, जबकि विवादग्रस्त भूमि कभी भी पैतृक सम्पत्ति नही रही तथा गणेशराम इस भूमि के खातेदार कभी नही रहे। विवादग्रस्त भूमि रघुनाथ जी पुत्र श्री भैरूराम के नाम दर्ज थी तथा रियासत से उक्त भूमि का पटटा रघुनाथ जी के नाम जारी हुआ था। भू प्रबन्ध विभाग ने भी रघुनाथ जी के नाम विवादग्रस्त

भूमि भेरू जी के नाम दर्ज की। राजस्व रिकार्ड मे रघुनाथ जी ही रिकार्डेड खातेदार थे एंव कब्जा भी रघुनाथ जी का चला आ रहा था। रघुनाथ जी ने विवाह नहीं किया था, इसलिये उनके कोई संतान नही थी। रघुनाथ जी ने मोहनलाल को गोद लिया। मोहनलाल ने ही रघुनाथ जी की सेवा चाकरी की एंव अंतिम सस्कार भी मोहनलाल ने ही किया था। विवादग्रस्त भूमि किसी अन्य व्यक्ति के गिरवी रखी थी, उसका कर्जा भी मोहनलाल ने चुकाया। मोहनलाल की मृत्यु के बाद अपीलकर्ता ही उनके विधिक वारिसान है और इस भूमि पर काबिज है। विवादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थगण का मकान बना हुआ है तथा मिटटी की डोल व बाड से सीमा अंकित कर दी गई है, मेन रोड की तरफ उत्तर की तरफ तारबंदी से सीमा की हुई है। इस प्रकार अपीलार्थीगण विवादग्रस्त भूमि पर मकान बनाकर रह रहे है तथा काश्त करते है। विवादग्रस्त भूमि पर कभी भी प्रत्यर्थीगण का कब्जा काश्त नही रहा है। प्रत्यर्थीगण के पिता कन्हैयालाल नाबालिग अवस्था मे ही महाराष्ट्र प्रान्त में चले गये थे और वही निवास कर रहे थे। प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 6 अपने पिता कन्हैयालाल के साथ महाराष्ट्र प्रान्त मे ही बस गये थे। इस प्रकार प्रत्यर्थीगण का इस भूमि पर कभी कब्जा एंव काश्त नही रहा है। स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल की मृत्यु फरवरी 1995 को हो गई थी। कन्हैयालाल के वारिसान प्रत्यर्थी संख्या 1 ने विरासत का नामान्तरकरण खुलवाने के लिये सरपंच ग्राम पंचायत छापरी कला के समक्ष दिनाक 05.10.2011 को विरासत आवेदन 17 वर्षो पश्चात् खोलने का आवेदन किया। ग्राम पंचायत ने प्रत्यर्थीगण का कब्जा नहीं होने से तथा भूमि पैतृक नहीं होने से नामान्तरकरण को निरस्त कर दिया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअंदाज कर आक्षेपित आदेश दिनांक 27.09.2013 पारित कर दिया। इसके अतिरिक्त विवादग्रस्त भूमि के बारे संबंध में अपीलार्थीगण ने सहायक कलक्टर डीड़वाना के न्यायालय मे एक वाद अन्तर्गत घारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को भी नजर अन्दाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीड़वाना के समक्ष यह तथ्य सामने आ चुका था कि विवादित भूमि बाबत एक राजस्व वाद संख्या 194/2012 बउनवान प्रकाशचन्द व अन्य बनाम मुकेश व अन्य विचाराधीन है जिसका अभी तक निस्तारण नहीं हुआ तो उनके समक्ष लम्बित नामान्तरकरण की अपील सुनवाई को रोक देना चाहिए था क्योंकि नामान्तरकरण की कार्यवाही समरी प्रोसिडिंग होती है जिसमें पक्षकारों के हक व अधिकार तय नहीं किये जाते। पक्षकारों के हक व अधिकार केवल राजस्व वाद द्वारा ही तय किये जा सकते है तथा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 में यह प्रावधान दिया गया है कि जहां वाद विचाराधीन हो वहां समरी प्रोसिडिंग को रोक देना चाहिए। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,

डीड़वाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–09–2013 को निरस्त कर किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थीगण के अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि सरहद मौजा कीचक तहसील डीडवाना के आराजी खसरा नम्बर 101, 228, 276, 278, 281 कुल रकवा 57 व 10 बीघा के खातेदार कन्हैया लाल के स्वर्गवास होने पर उनके वारीसान के नाम नामान्तरण सख्या 429 में पारित ग्राम पचायत छापरी कला के आदेश दिनांक 05.10.2011 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत कि गई थी। खातेदार कन्हैया लाल के निधन पर उनके वारीसान के नाम नामान्तरण सख्या 429 भरकर भू–अभिलेख निरीक्षक मौलासर ने खसरा के अनुसार इन्द्राज दुरस्ती योग्य पाया। ग्राम पचायत के प्रस्ताव संख्या 2 मे यह अंकित किया गया गया कि खातेदार 50 पचास वर्षो से ग्राम कीचंक में नहीं रहते है न ही कब्जा काश्त है इस आधार पर नामान्तरण अस्वीकृत कर दिया। विधि के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी मृतक के सम्बधिंत धर्म की विधि के अन्तर्गत बताए गए उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत नामान्तरकरण की कार्यवाही होती है। अपीलार्थी हिन्दु विधि से संचालित होते है। स्व कन्हैया लाल के द्वारा उक्त भूमि का विक्रय,गिफट (दान) अथवा वसीयत नहीं कि गई इसलिए खातेदार कन्हैयालाल के निधन होने पर हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के अधीन नामान्तरण की कार्यवाही होनी चाहीए थी। इस धारा मे वर्णित प्रथम अनुसूची मे अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण आते है इसलिए यह विधि व न्याय संगत है कि खातेदार कन्हैया लाल के वारिसान के नाम नामान्तरण होना है। ग्राम पंचायत ने खातेदारान के कीचक मे पचास वर्षो व कब्जा काश्त नहीं होना मानकर नामान्तरकरण खारिज किया है जो अविधिक एंव त्रूटिपूर्ण है। किसी भी खातेदार के अजीविका के लिए बाहर चले जाने से पैतृक स्थान पर स्थित सम्पति मे उसके हक अधिकार समाप्त नही हो जाते है। विरासत के नामान्तरण में कब्जा होना या न होना कोई मायने नहीं रखता है। ग्राम पचांयत ने भी प्रत्यर्थीगण को अपना पक्ष रखने का कोई मौका नहीं दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–09–2013 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपील के साथ एक अन्य प्रार्थना पत्र धार–96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर बहस सुनी । हमने बहस के कथनों पर मनन किया रेकार्ड का अवलोकन किया। न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थीगण के पिता कन्हैयालाल नाबालिग

अवस्था मे ही महाराष्ट्र प्रान्त में चले गये थे और वही 50 वर्षो से निवास कर रहे थे। प्रत्यर्थगण संख्या 1 से 6 अपने पिता कन्हैयालाल के साथ महाराष्ट्र प्रान्त मे ही बस गये थे। इस प्रकार प्रत्यर्थीगण का इस भूमि पर कभी कब्जा एंव काश्त नही रहा है। स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल की मृत्यु फरवरी 1995 को हो गई थी। कन्हैयालाल के वारिसान प्रत्यर्थी संख्या 1 ने विरासत का नामान्तरकरण खुलवाने के लिये सरपंच ग्राम पंचायत छापरी कला के समक्ष दिनाक 05.10.2011 को विरासत आवेदन 17 वर्षो पश्चात् खोलने का आवेदन किया। ग्राम पंचायत ने प्रत्यर्थीगण का कब्जा नहीं होने से तथा भूमि पैतृक नहीं होने से नामान्तरकरण को निरस्त कर दिया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–4 के अनुसार हिन्दू पुरूष की मृत्यु पश्चात उसकी विधवा, पुत्रियां एवं पुत्र उसकी सम्पत्ति के बराबर हिस्सेदार रहेगें। इसी प्रकार उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 33, 34 एवं 59 के अनुसार वादग्रस्त आराजियात के भूधारक की मृत्यु होने पर उसके जाईन्दा पुत्र, पुत्री एवं विधवा तथा विधवा की मृत्यु पश्चात उसके हक की सम्पत्ति उसके पुत्र एवं पुत्रियों में बहिस्सा बराबर आयेगी। सरपंच ग्राम पंचायत छापरीकंला द्वारा खातेदारान के ग्राम कीचक में 50 वर्षो से नहीं रहने व कब्जा काश्त नहीं होना मानकर नामान्तरकरण संख्या 429 खारिज किया है जो विधिसम्मत नहीं है क्योंकि किसी भी खातेदार के आजीविका के लिए बाहर जाने से पैतृक स्थान पर स्थित सम्पत्ति में उसके हक अधिकार समाप्त नहीं हो जाते है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना द्वारा मृतक खातेदार कन्हैयालाल के विधिक वारिसानों की जांच कर विवादित नामान्तरकरण को नियमानुसान निर्णित करने हेतु तहसीलदार, डीडवाना को आदेश दिया है जो उचित है। ऐसी स्थिति मे उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–9–2013 विधिसम्मत होने से उसमे किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.09.2013 अन्तर्गत राजस्व अपील संख्या 10/2011 बउनवान मुकेश कुमार बनाम ग्राम पंचायत छापरी कला व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07–06–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर